Reply for Hon'ble NGT Origingal Application No. 48/2023 "Ajay Singh Chaouahan Vs State of Madhya Pradesh & Ors'

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 06th October, 2023 in OA no. 48/2023 "Ajay Singh Chaouahan Vs State of Madhya Pradesh & Ors' directed "In compliance of the order dated 06.07.2023 the Joint Committee has submitted the report. Copy of the same be provided to the Learned Counsel for the opposite parties, who may in turn file the response /reply. Respondents are directed to submit their reply within three weeks."

In compliance of the above direction reply submitted by Nagar Palik Nigam Ujjain vide letter no. 174 dated 06-11-2023 annexed as **Annexure – 1** reveals that Brick Masonry Boundary wall & Railings have been demolished completely & 20 % of the Stone Masonry Retaining wall of Solitaire Hotel Ujjain has also been demolished. However as per order passed by Hon'ble Ninth Civil Judge Senior Ujjain vide their letter no. 14671 dated 22-09-2023, the Nagar Palik Nigam Ujjain is free to demolished illegal construction except permitted construction part of Hotel. In compliance of the above order , the demolition of remaining illegal construction is under process.

(Laxminarayan Garg)
SDM
Ujjain City

Annexure - 1.

कार्यालय नगर पालिक निगम,उज्जैन

प्रतिवेदन

क्रमांक ..../ 2023/174 उज्जैन दिनांक 06/11/23

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक OA48/2023(अजय सिंह चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में Action Taken Report के संबंध में |

सन्दर्भ:- श्रीमान के पत्र क्रमांक 1136 उज्जैन दिनांक 13.09.2023 के क्रम में |

----0000----

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्रानुसार महोदय द्वारा उक्त विषय में की गई कार्यवही के वांछित प्रतिवेदन प्रेषण के क्रम में लेख है कि महोदय के आदेशानुसार संचालक सॉलिटेयर होटल को संदर्भित पत्र के साथ संलग्न पंचनामे अनुसार अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 436 अंतर्गत पत्र क्रमांक 848 दिनांक 18.09.2023 प्रेषित किया गया जिसके अनुसार संबंधित द्वारा अवैध निर्माण को स्वयं नही हटाये जाने पर निगम द्वारा दिनांक 21.09.2023 को अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन शहर श्री एल एन गर्ग तथा पुलिस बल की उपस्थिति में ब्रिक मेसनरी की बाउंडरी वॉल तथा रेलिंग्स आदि पूर्णतः तोड़कर हटाई गई तथा स्टोन मेसनरी की रिटेनिंग वॉल का 20 प्रतिशत हिस्सा तोड़ा गया है। वर्तमान में नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड उज्जैन के आदेश क्रमांक 14671 दिनांक 22/09/2023 के अनुसार अनुमति प्राप्त निर्माण को छोड़ा जाकर शेष अवैध निर्माण हटाने हेतु विभाग स्वतंत्र है | उक्त आदेश के क्रम में शेष अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार सहयोग किया जाकर आगामी कार्यवाही प्रचलित है |

अतः श्रीमान की ओर पारित आदेश के अनुपालन में Action Taken Report/ प्रतिवेदन सादर प्रेषित है|

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम,उज्जैन

6/11/23
नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,उज्जैन

क्रमांक ..../ 2023 उज्जैन दिनांक

प्रतिलिपि – 1. आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम उज्जैन, की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित |

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम,उज्जैन

6/11/23
नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,उज्जैन

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्रमांक/एस.डी.एम. नगर/रीडर–1/2023/2602 उज्जैन, दिनांकः– 06/11/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला उज्जैन।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल वेंच के प्रकरण कमांक OA 48/2023 (अजय सिंह चौहान विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में रिप्लाई प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ :– 1) श्रीमान का पत्र कमांक/सामान्य/2023/1399, 1400 उज्जैन, दिनांक 16.10.2023।

2) कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन का पत्र कमांक ../2023/174 उज्जैन, दिनांक 06.11.2023।

—00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कमांक 01 द्वारा श्रीमान के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल वेंच के प्रकरण कमांक OA 48/2023 (अजय सिंह चौहान विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में रिप्लाई प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन का पत्र कमांक ../2023/174 उज्जैन, दिनांक 06.11.2023 द्वारा श्रीमान को प्रतिवेदन प्रेपित किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। नगर पालिक निगम द्वारा संचालक सॉलिटेयर होटल को अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–436 अंतर्गत पत्र कमांक 848 दिनंक 18.09.2023 प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार संबंधित द्वारा अवैध निर्माण को स्वयं नही हटाये जाने पर दिनांक 21.09.2023 को मेरी, नगर पालिक निगम तथा पुलिस बल की उपस्थिति में ब्रिक मेसनरी की बाउंड्रीवाल तथा रैलिंग्स आदि पूर्णतः तोडकर हटाई गई तथा स्टोन मेसनरी की रिटेनिंग वॉल का 20 प्रतिशत हिस्सा तोडा गया।

अतः श्रीमान की ओर एक्शन टेकन रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
उज्जैन नगर, जिला उज्जैन